

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

सन्तोष व अन्य बनाम कंचन व अन्य

(सी. आई.)

वाद संख्या 48/2025

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	---------------------------	----------------------	-------------

07/08/25 पत्रावली पेक्षा डॉ. अश्विबहा प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण सं. 01/2025) की कोर्ट से वादपत्र प्राप्त की. कोर्टीस दिनांक 05/07/25 के उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत ड्यू रिपोर्ट अनुसार नाबालिग स्वीकार है। एड वरु के अधीन ही पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण की कोर्ट से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अलग प्रार्थीगण सं. 01/2025 के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही उठाई जा रही है। पत्रावली नाबालिग अग्रिम कार्यवाही दिनांक 18/08/25 को प्रेषित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

18/08/25 पत्रावली पेक्षा डॉ. अश्विबहा प्रार्थीगण उपस्थित/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही अधीन पूर्ण में परिणत होने से अश्विबहा प्रार्थीगण की फरस प्रार्थनापत्र सी. आई. पर सुनी गई। अश्विबहा प्रार्थीगण द्वारा अपनी फरस में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण की कोर्ट से वाद ग्राम जैतपुरखोची तहसील के अंतर्गत स्थित वादकरीन मूनि डा. रज. नं. 1647/5, 1653, 1654/4, 1656, 1657, 1658 कुल खपत। फिता 06 कुल रकबा 0-80 है।

P.T.O.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

केस संख्या 48/2025

(सी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

18/08/25 एड वरु के संदर्भ में विधिक प्रकृति अनुसार विधिक विभाजन का मूलवाद प्राप्त किया गया है। जितने संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उच्च आपत्ति है अप्रार्थीगण को विधिक नोटीस जारी दिए गए हैं। जितनी विधिक प्रकृति के अंतर्गत जो अप्रार्थीगण की कोर्ट से नाबालिग प्रस्तावित प्रस्ताव उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है, जो ही मूमि के विधिक अंतर्गत विभाजन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई उच्च आपत्ति अथवा वाद या प्रार्थनापत्र, कोर्ट के तथ्यों/अभिलेखों का किसी भी मान्य/गोपनीय स्तर पर कोई खंडन/परिरोध ही प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में वाद बदलना के दृष्टिकोण से मूमि वादग्रस्त को सुनिश्चित करा जाय। न्यायप्रति में आवश्यक व अनिवार्य प्रार्थनापत्र सी. आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के विस्तारण एड अस्थाई निष्पत्ति के पाठ्य फांसाया जाये। यदि वाद के अंतिम विभाजन तह (विधिक विभाजन अलग दरमद होने लगे) वाद अधीन उल्लेखित मूमि की मूमि व शपथ रिपोर्ट की अस्थाई अस्थाई मूमि का विकल्प, हस्तांतरण आदि करे।

हमें अप्रार्थीगण अश्विबहा की वरु सुनी, तथ्यों पर गणन किया व पत्रावली का अंतरपूर्ण अवलोकन किया। पत्रावली

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

